FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0205 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/07/2026 17:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 03/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:08 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/07/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/07/2026 17:53:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 400 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** POLICE THANA SARTHAL, JILA BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEVISHANKAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HARINARAYAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1992 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BADAI, CHHIPABAROD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BADAI, CHHIPABAROD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARAMPAL		पिता:BANWARI LAL	1. RAMPURA,POLICE THANA KISHANGARH,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
2	KAMLESH KUMAR		पिता:GANPATRAM	1. AASPURA,SHRIMADHOPUR,SI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, प्रकरण में हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 03.02.2026 को परिवादी श्री देवीशंकर नागर पुत्र श्री हरिनारायण, उम्र 34 साल निवासी बडाई तहसील छीपाबडोद पुलिस थाना सारथल जिला बारां चौकी हाजा पर उपस्थित आया, जिसने अपने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को पेश किया जो इस आशय का था "निवेदन है कि मैं गावं बडाई तहसील छीपाबडोद पुलिस थाना सारथल जिला बारां का रहने वाला हूँ। दिनांक 29.11.2025 को ओमप्रकाश नागर, देवीलाल एवं श्याम मुरारी नागर ने मेरे व मेरे दादाजी के लडके दुर्गाशंकर नागर व मेरे ड्राईवर हेमराज सेन के साथ गाली गलोच व लडाई झगडा किया, जिसमे दुर्गाशंकर नागर के चोट आने पर मैने 112 पर कॉल किया तो करीब आधा घन्टा बाद पुलिस आई और दोनो पार्टीयो से बातचीत कर मुझे व मेरे ड्राईवर एवं ओमप्रकाश नागर को 112 में बैठाकर पुलिस थाना सारथल ले गई और हम तीनों को पट्टे मारे और हवालात मे बन्द कर दिया। रात्री को हम तीनों हवालात मे बन्द रहे। दूसरे दिन दिनांक 30.11.2025 को हमे तहसील कार्यालय छीपाबडोद मे एस.डी.एम साहब के समक्ष पेश किया तो हमे जमानत लेकर छोड दिया था। दिनांक 02.02.2026 को धर्मपाल थानेदार जी के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर कॉल आया। उस वक्त मै खेत पर फसल को दवाई दे रहा था। मेरा मोबाईल घर पर था। मोबाईल को मेरी पत्नि सीमा नागर ने रिसिव किया तो थानेदार जी ने उसे बताया कि देवीशंकर को थाने पर रूपये लेकर भेज दो नही तो मे घर आकर देवीशंकर को घसीटता हुआ थाने ले जाऊंगा। ये बात मेरी पत्नी ने मेरे घर आने पर मुझे बताई थी। थानेदार धर्मपाल जी, प्रेमाराम विश्नोई हैड कानिस्टेबल, अशोक परिहार व कमलेश कानिस्टेबल चारों रूपये के लिए मेरे बार-बार फोन कर रहे है व उठाने की धमकी दे रहे है। मै धर्मपाल थानेदार जी, प्रेमाराम विश्नोई हैड कानिस्टेबल, कमलेश व अशोक परिहार कानिस्टेबल को रिश्वत के रूपये नही देना चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ, मैं थानाधिकारी के कहेनुसार थाने पर नहीं गया, इसलिए अब थाने पर जाऊंगा तो वो मेरी तलाशी ले सकते हैं तथा मेरे साथ मारपीट भी कर सकते हैं तथा थानाधिकारी व थाना का स्टाफ रुपये पैसों की बात भी मेरे भाई सुनील से करते हैं, इसलिए रिश्वत मांग के सत्यापन के लिए थाने पर बात करने के लिए मेरे चाचा का लडका सुनील जायेगा। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी ने बताया कि आज भी थाना सारथल का कमलेश कानि. मेरे भाई सुनिल से मिला था तो उसने सुनिल को 15000 रू. लेकर थाने पर आने के लिए बोला हैं। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय से श्री अभिषेक कानि.197 एवं श्री योगेश कानि.291 को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री देवीशंकर से आपसी परिचय करवाया गया तथा समस्त हालात से अवगत कराया गया, कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को उसे चलाने व बन्द करने तथा रिकॉर्ड करने की विधी समझाई गई, तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि आरोपीगण मुझसे रिश्वत की बात नहीं करेंगे वो मेरे भाई सुनील नागर से ही रिश्वत की बात करेंगे, वो आज मेरे साथ नहीं आया है वो कल गांव में ही मिल जायेगा, मेरी उससे बात हुई हैं, इसलिए आप इनको रिकॉर्डर देकर कल सुबह सारथल भेज देना मैं व मेरा भाई इनको मिल जायेंगे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर के साथ श्री योगेश गोचर कानि नं. 291 व श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन की निगरानी हेतु मुनासिब हिदायत की वं दिनांक 04.02.2026 को सुबह रवाना होकर परिवादी व उसके भाई सुनिल से उसके गांव के पास मिल कर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने की हिदायत की। परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुरक्षित रखवाया गया। इस पर दिनांक 04.02.2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय के मालखाने से निकालकर श्री योगेश गोचर कानि0 291 को सुपुर्द कर सारथल जिला बारां पहुंच कर परिवादी देवीशंकर व सह परिवादी सुनील नागर से मिलकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर चालू बंद करने का तरीका समझाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु निदेर्शित कर मय श्री अभिषेक चौधरी के रवाना किया। इसके पश्चात श्री योगेश कानि0 291 ने जर्ये वाट्सएप कॉल कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "मैं व श्री अभिषेक कानि0 197 कोटा से रवाना होकर सारथल जिला बारां पहुंचे थे, मोबाईल पर हुई वार्ता अनुसार सारथल कस्बे से पहले परिवादी श्री देवीशंकर नागर व सहपरिवादी श्री सुनील नागर मौजूद मिले जहां पर सहपरिवादी श्री सुनील नागर को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द

करने की प्रक्रिया समझा कर गोपनीय सत्यापन हेतु मोटर साईकिल से पुलिस थाना सारथल रवाना किया तथा परिवादी को सारथल कस्बे से पहले ही छोडकर सहपरिवादी सुनील के पीछे-पीछे कार से मै व अभिषेक कानि0 197 पुलिस थाना सारथल जिला बारां के बाहर पहुंचे, सहपरिवादी सुनील सत्यापन हेतु पुलिस थाना सारथल के अन्दर गया तथा कुछ समय बाद हमारे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द हालात में पेश कर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर थाना सारथल गया जहां पर आरोपी धर्मपाल थानेदार थाने पर नहीं थे। जिन्हे मैने कॉल किया तो 5 मिनट में आना बताया । इस पर कमलेश कानिस्टेबल मुझे मिला तथा उसी समय धर्मपाल थानेदार जी थाने पर आ गये। जिनसे मैने मेरे भाई देवीशकंर के संबंध में बातचीत की तो कमलेश कानि. ने मेरे व कमलेश के मध्य दिनांक 03.02.2026 को देवीशंकर और अनिल को लेकर थाने पर आते समय 15000 रू. लेकर आने के लिए हुई बात के संबंध में कमलेश मुझसें बार-बार कहा कि कल जो बात हुई वो काम नहीं किया तूने तथा फिर मैने थानाधिकारी धर्मपाल जी को कहा कि कमलेश जी ने पन्द्रह हजार रू. की बोली हैं मैं तो दस ही लांऊंगा, इस पर थानाधिकारी जी ने कहा कि ठीक हैं, पर जल्दी ले आना, इसके बाद सहपरिवादी एवं हम परिवादी के पास आये तथा रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना तो सहपरिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई हैं''। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को साथ आने के लिए कहा तो परिवादी ने रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की कह कर आने मे असमर्थता जाहिर की। तत्पश्चात परिवादी व सहपरीवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रूकसत करवाया व श्री योगेश कानि0 291 व श्री अभिषेक कानि0 197 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर एसीबी चौकी कोटा आने हेतु निर्देशित किया गया। इसके पश्चात श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा ने श्री योगेश कानि0 291 व श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197 द्वारा व परिवादी व सहपरिवादी देवीशंकर नागर व सुनील नागर द्वारा बताए हालात के अनुसार आगामी दिवस को ट्रेप कार्यवाही सम्भावित होने से श्री आशिक हुसैन स0उ0नि0 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के नाम तहरीर जारी कर दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाने हेतु रवाना किया गया। श्री आशिक हुसैन स0उ0नि0 तहरीरी पर दो स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री कैलाशचन्द शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 9 चन्द्रकान्ता मौहल्ला, बामनवास ग्राम पंचायत बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा व श्री जितेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री मोहनलाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी ग्राम कालेडा तहसील सिकराय जिला दौसा हाल कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा, को साथ लेकर मय तहरीरी के कार्यालय हाजा उपस्थित हुआ। जिनसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिचय प्राप्त किया व अपना परिचय दिया। तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को दिनांक 05.02.2026 को 06.00 ए.एम पर कार्यालय एसीबी कोटा उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर सकुशल रूकसत किया। तहरीर को शामिल फाईल किया। इसके पश्चात श्री योगेश कानि0 291 व श्री अभिषेक कानि0 197 कार्यालय हाजा उपस्थित आये और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर बताया कि आपके निर्देशानुसार हम दोनों कोटा से प्रातः 6.00 ए.एम. रवाना होकर समय 10.00 ए.एम. पर सारथल पहुंचे थे, सारथल कस्बे से पहले परिवादी श्री देवीशंकर नागर व सहपरिवादी श्री सुनील नागर मौजूद मिले, जिनसे बातचीत करके मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के सुनील को थाने पर सत्यापन हेतु रवाना किया था। सहपरिवादी सुनील ने वापस आकर बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर थाना सारथल गया जहां पर धर्मपाल थानेदार थाने पर नहीं थे, जिन्हे मैने कॉल किया तो 5 मिनट में आना बताया, इस पर कमलेश कानिस्टेबल मुझे मिला तथा उसी समय धर्मपाल थानेदार जी थाने पर आ गये। जिनसे मैने देवीशकंर के संबंध में बातचीत की तो उन्होने कहा कि तू देवीशंकर और अनिल को लेकर आ इस पर मैने कहा कि देवीश्ंकर को तो मै ले आऊंगा पर अनिल के बारे में मुझे पता नहीं है। इस पर मैने कहा कितने क्या अनिल भी, इस पर थानेदार जी ने कहा कि उनको ले आ फिर कर लेंगे तू टेन्शन मत ले, इस पर मैने कहा कि सर एक बार बता दो ना जो, तो थानेदार जी ने कहा कि बता दिया कमलेश बता, इस पर कमलेश कानिस्टेबल ने (दिनांक 03.02.2026 को देवीशंकर और अनिल को थाने पर लेकर आते समय 15,000 रू. लेकर आने के लिए मुझसे हुई वार्ता के क्रम में) कहा कि बता दिया तेरे को कल बता दिया बार-बार तू बार-बार बताउं क्या तेरे को कल बता ही दिया था वो काम तो कर ही दिया तेने कल वाला तो, इस पर मैने कहा कि सर अभी लेके आया हूं, इस पर कमलेश कानिस्टेबल ने कहा कि कल वाला कर दिया क्या, इस पर मैने कहा कि नही वो नहीं करा अभी पडे है जो तो दे जांऊ फिर ओर होयेंगें उनके साथ में ले आऊंगा, अभी दो हजार पडे है जो ये तो, इस पर कमलेश ने कहा कि तू तो कुछ नहीं चहिये उनको ले आना। इसके बाद थानाधिकारी कमलेश से दूर चले गये तो मैं उनके पास गया तथा उनसें कहा कि- यूं बोल रहा हॅू सर कमलेश सर पन्द्रह हजार की बोल रहे थे पन्द्रह नहीं होयेगें सर दस ही होयेंगें मेरे, इस पर थानेदार जी ने कहा कि ले आ तू जा जा फटाफट । इस प्रकार थानेदार धर्मपाल जी व कमलेश कानिस्टेबल देवीशंकर के साथ मारपीट नहीं करने व केस में राहत देने के रूप में रिश्वत राशि दस हजार रूपये की मांग की है । इस पर हमने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को सुना तो परिवादी द्वारा बताए गए सत्यापन हालात की पुष्टी हुई। जिसके हालात हमने आपको जर्ये मोबाईल बता दिए थे। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डेड वार्ता को सुना तो- सहपरिवादी द्वारा दोनों कानि.गणों को कहे गए कथनो की ताईद हुई है। आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि की मांग की गई है, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा में

सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर की फर्द प्राप्ति पृथक सें मुर्तिब कर शामिल फाईल की गई। इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय परिवादी के प्रार्थना पत्र, स्वतंत्र गवाह बुलाने का पत्र मय रनिंग नोट के पत्रावली मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर समस्त हालात से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। इसके पश्चात दिनांक 05.02.2026 को पूर्व में तलवीदाशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री दीपक शर्मा, कनिष्ठ सहायक, व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक व समस्त स्टाफ कार्यालय हाजा उपस्थित आए। मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान श्री दीपक शर्मा, कनिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक को होने वाली कार्यवाही सें अवगत कराया तथा कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु सहमति प्राप्त की गई, जिस पर दोनों गवाहान ने कार्यवाही में शामिल होने की मोखिक सहमति प्रदान की, तत्पश्चात परिवादी के हस्त लिखित प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से मालखाने से फिनोल्फिथलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेश बोर्ड मे रखवाई गई। इसके बाद श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक शर्मा, कनिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक मय श्री गौरव कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल 132 मय प्राइवेट वाहन के सारथल जिला बारां रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री योगेश कानि 291 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री तंवर सिंह कानि 506 के सारथल जिला बारां के लिए रवाना हुये। इसके पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक शर्मा, कनिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक मय जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से परिवादी के बताये अनुसार झामरिया रोड पर पहुंचे जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री देवीशंकर नागर व सहपरिवादी श्री सुनील नागर मय दो मोटर साईकिल के उपस्थित मिलें। उपस्थित परिवादी व सहपरिवादी से मन् उप अधीक्षक ने जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया। इसके पश्चात गवाहान के समक्ष परिवादी श्री देवीशंकर नागर पुत्र श्री हरनारायण उम्र 34 साल निवासी बडाई तहसील छीपाबडोद पुलिस थाना सारथल जिला बारां ने आरोपीगण धर्मपाल यादव उपनिरीक्षक व कमलेश कानिस्टेबल थाना सारथल जिला बारां को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079350
2.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079351
3.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079352
4.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079353
5.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079354
6.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079355
7.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079356
8.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079357
9.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079358
10.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079359
11.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079360
12.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079361
13.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079362
14.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079363
15.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079364
16.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6FV079365
17.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0FH107091
18.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0FH107092
19.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0FH107099
20.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9HU127020

श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से सरकारी बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखे फिनोल्फ्थीलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोल्फ्थीलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री

देवीशंकर नागर व सह परिवादी सुनील नागर की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर से लिवाई गई। परिवादी व सह परिवादी के पास उनके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के बीस नोट कुल 10,000 रूपये को सह परिवादी सुनील के पहनी हुई पेन्ट की दांयी जेब मे श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान्, परिवादी व सहपरिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी व सह परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा।
डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोल्फ्थीलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथों एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। सह परिवादी श्री सुनील नागर को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक को मौके से कार्यालय एसीबी चौकी कोटा रवाना किया गया। इसके पश्चात मन उप अधीक्षक ने सह परिवादी श्री सुनील नागर को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवाकर आरोपी धर्मपाल थानेदार व कमलेश कानिस्टेबल को रिश्वत राशि देने हेतु मय परिवादी श्री देवीशंकर नागर के सहपरिवादी की मोटर साईकिल पर रवाना किया तथा परिवादी की मोटरसाईकिल से श्री नरेन्द्र हैड कानि 140 को सह परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे-पीछे मोटर साईकिल से निगरानी हेतु पुलिस थाना सारथल के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान गवाहान व एसीबी जाप्ता के अपने-अपने वाहनों से परिवादी व सहपरिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये।इसके पश्चात मन उप अधीक्षक मय हमराहियान जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी एवं प्राईवेट वाहन के तथा परिवादी श्री देवीशंकर नागर व सहपरिवादी सुनील नागर मय मोटर साईकिल से व श्री नरेन्द्र हैड कानि 140 मय मोटर साईकिल से थाना सारथल के पास पहुंचे जंहा पर परिवादी व सहपरिवादी थाने के अन्दर चले गए। श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140 मय मोटर साईकिल के व मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान गवाहान व एसीबी जाप्ता के अपने-अपने वाहनों की उपस्थिति छुपाते हुए पुलिस थाने के बाहर परिवादी के निर्धारित इशारे हेतु मुकिम रहे। इसके पश्चात परिवादी देवीशंकर नागर व सहपरिवादी सुनील नागर बिना कोई इशारा किये थाने से बाहर आए तथा नरेन्द्र हैड कानि0 140 के पास आकर बातचीत कि इसके बाद नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने परिवादी एवं सहपरिवादी को थाने से दूर आगे रोड पर मिलने का इशारा किया, जिस पर परिवादी एवं सहपरिवादी थाने के सामने से रवाना हुये, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. एवं मन उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता परिवादी एवं सहपरिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुये कुछ दूर जाने पर परिवादी एवं सहपरिवादी अपनी मोटरसाईकिल के पास खडे हुये मिले जिनसे रिकॉर्डर लेकर बन्द किया तथा परिवादी एवं सहपरिवादी से पूछा तो बताया कि हम दोनों ने थाने में पहुंच कर थानेदार साहब को फोन किया तो थानेदार साहब ने कहा कि मै तो आज बारां आ गया तथा यंहा से कोटा जाऊंगा, तुम कल आना। मैने कहा कि सर कमलेश जी थाने पर होंगे तो उन्होने कहा कि कमलेश भी मेरे साथ ही हैं तुम कल आ जाना इस पर हम दोनों थाने सें बाहर आ गये। रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा कहे गये कथनों की पुष्टि हुई।
रिकॉर्ड वार्ता को सुनने से प्रकट होता हैं कि आरोपीगण थाने पर उपस्थित नहीं हैं तथा परिवादी एवं सहपरिवादी को थाने पर कल बुलाया हैं अतः अग्रिम कार्यवाही कल की जानी हैं, अतः मौके पर ही स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर से सहपरिवादी श्री सुनील नागर की पेंट की जेब सें रिश्वत राशि निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाकर गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाया तथा परिवादी एवं सहपरिवादी को गोपनीयता की हिदायत की तथा उपरोक्त कार्यवाही में आरोपीगण या परिवादी सहपरिवादी की तरफ सें कोई बातचीत होने पर तुरंत अवगत कराने के निर्देश दिये तथा अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मोबाईल से अवगत कराने के लिए कहा तथा परिवादी एव सहपरिवादी को अपनी अपनी मोटरसाईकिल से मौके सें ही रूखसत किया। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय स्वतंत्र गवाहान श्री दीपक शर्मा, कनिष्ठ सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक मय श्री गौरव कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल 132 मय प्राइवेट वाहन चौकी हाजा के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री योगेश कानि 291 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य

ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत राशि के लिफाफे मय रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन के संबंध में हुई वार्ता के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री तंवर सिंह कानि 506 के चौकी हाजा के लिए रवाना हुये। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस कस्बा सारथल सें मय जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन के संबंध में हुई वार्ता के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के प्राईवेट व सरकारी वाहन चालक श्री तंवर सिंह कानि 506 के चौकी हाजा के लिए रवाना होकर चौकी हाजा पहुंचे, स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर से रिश्वती राशि का लिफाफा निकलवाकर मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर व मेमोरी कार्डो के मालखाने में सुरक्षित रखवाये गये। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही आईन्दा की जानी हैं, अतः स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर सूचना पर चौकी हाजा उपस्थित होने के निर्देश देकर सकुशल रूखसत किया गया। इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल श्री अभिषेक कानि. 197 ने बताया कि अभी थोडी देर पहले मेरे पास सहपरिवादी सुनील का कॉल आया था जिसने मुझे बताया हैं कि- उसके पास थानाधिकारी धर्मपाल के मोबाईल से वॉट्सएप कॉल आया था, जिसने सुनील को कहा कि मैं कल शाम को पांच बजे तक थाने पर पहुंच जाऊंगा तुम देवीशंकर को लेकर थाने पर आ जाना, जिस पर सुनील नागर ने थानाधिकारी को कहा हैं कि मैं शादी में खानपुर आया हुआ हूं तथा कल शाम तक नहीं आ पाऊंगा परसों सुबह आ जाऊंगा, इस पर थानाधिकारी ने सुनील को कहा हैं कि परसों सुबह 10 बजे तक आना मैं थाने पर मिल जाऊंगा। अभिषेक कानि. 197 के बताये अनुसार अग्रिम कार्यवाही दिनांक 07.02.2026 को की जानी हैं अतः सभी जाब्ता को अवगत कराया गया तथा स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 07.02.2026 को प्रातः 6.00 ए.एम. पर चौकी हाजा उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। इसके पश्चात दिनांक 06.02.2026 को मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री पार्थ विद्यार्थी पुत्र सम्पूर्णानन्द जाति ब्राहमण उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 3-जे-40 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा हाल सूचना सहायक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा मोबाईल नम्बर [redacted] उपस्थित आया तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा का पत्रांक 209 दिनांक 06.02.2026 पेश कर बताया कि स्वतन्त्र गवाह श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री कैलाशचन्द शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 22 साल निवासी वार्ड नम्बर 9 चन्द्रकान्ता मौहल्ला, बामनवास ग्राम पंचायत बोबाडी, तहसील जमवारामगढ, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, कोटा के आवश्यक कार्य होने के कारण अवकाश पर चला गया हैं। उसके स्थान पर मुझे कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु भिजवाया गया है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्वतंत्र गवाह को दिनांक 07.02.2026 को प्रातः 6.00 ए.एम. पर चौकी हाजा उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर सकुशल रूकसत किया। कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा के पत्रांक 209 दिनांक 06.02.2026 को शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 07.02.2026 को पूर्व में तलवीदाशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री पार्थ विद्यार्थी सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय हाजा उपस्थित आए। गवाह पार्थ से कार्यवाही में सम्मिलित होने की सहमति पृथक से चाही जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया गया। इसके पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने मालखाने से 10,000 रूपये का रिश्वत राशि का लिफाफा निकलवा कर स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाया तथा इसके बाद श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय स्वतंत्र गवाहान श्री पार्थ विद्यार्थी सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल 132 मय प्राइवेट वाहन के सारथल जिला बारां रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री योगेश कानि 291 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री तंवर सिंह कानि 506 के सारथल जिला बारां के लिए रवाना हुये। इसके पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पार्थ विद्यार्थी सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक मय जाप्ता मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर, मैमोरी कार्ड के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से परिवादी के बताये अनुसार सारथल कस्बे से पहले बन्द ढाबा के यहां पर पहुंचे जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री देवीशंकर नागर व सहपरिवादी श्री सुनील नागर मय दो मोटर साईकिल के उपस्थित मिलें। परिवादी व सहपरिवादी से वार्ता कर स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि 10,000 रूपये को लिफाफे में से निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर से सहपरिवादी सुनील नागर की पेन्ट की बांयी जेब में रखवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर सहपरिवादी सुनील की जाकिट की सामने की बायी जेब में रखवाकर श्री योगेश कुमार कानि0 291 व श्री अभिषेक कानि0 197 को निगरानी हेतु परिवादी व सहपरिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल के पीछे पीछे दूसरी मोटर साईकिल से उचित दूरी रखते हुए थाना सारथल के लिए रवाना किया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय टीम पीछे पीछे सरकारी व प्राईवेट वाहनो से थाना सारथल के लिए रवाना होकर थाना सारथल के पास पहुंचकर सहपरिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।
कुछ समय पश्चात सहपरिवादी श्री सुनील नागर व परिवादी देवीश्ंकर ने बिना कोई ईशारा किये थाने से निकलकर सारथल कस्बे की तरफ चले गये, मन उप अधीक्षक पुलिस भी हमराहियान के रवाना होकर सारथल कस्बे की तरफ आया,

सारथल कस्बे से करीबन 2 किलो मीटर दूर आने के बाद बंन्दशुदा हालत में डीवीआर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं और सुनिल आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाने के अन्दर गए थे वंहा पर थानेदार साहब मिले, थानाधिकारी जी ने मुझे मेरे भाई को पास ही रखी टेबल पर बैठने के लिए इशारा किया तथा करीबन 15-20 मिनट बाद थानाधिकारी धर्मपाल जी हमारे पास आये तथा बातें करने लगे। बहुत देर तक उन्होने मुझे व सुनिल को कहा कि तुमको बार-बार बुलाने पर भी नहीं आये तथा धमकी देते हो इत्यादि इसके बाद मेरे भाई सुनिल ने रिश्वती राशि के लिए अपनी पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशी की तरफ इशारा कर कहा कि ”सर वो आपने कहा जो, इस पर थानाधिकारी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया तथा कहा कि ये कुछ नहीं आप तो ये काम पूरा करो“ इसके बाद मेरे भाई सुनिल ने मेरे बाहर जाने के बाद फिर थानाधिकारी को कहा कि ”पैसे नहीं चाहिये क्या जिस पर थानाधिकारी ने कहा कि तुम आ गये हो तो इसको तो ऐसे ही छोड देंगे“। इसके बाद मेरा भाई भी थाने से बाहर आ गया था, फिर सुनिल ने बाहर आकर मोटरसाईकिल पर चलते हुये ने मुझे ये सबकुछ बताया, हमारे पीछे थाने से एक मोटरसाईकिल पीछे-पीछे आ रही थी इसलिए हम रास्ते मे नहीं रूके उनके वापस जाने के बाद यंहा रूके है। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डीवीआर मे रिकोर्डेड वार्ता को चालु कर सुना तो सहपरिवादी व परिवादी द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि होती है। चुंकि थानाधिकारी ने परिवादी एवं सहपरिवादी को आधार कार्ड एवं फोटू लेकर थाने पर बुलाया हैं अतः परिवादी एवं सहपरिवादी को फोटो बनवाने के लिए कहा गया। कुछ समय बाद ही सहपरिवादी सुनिल ने बताया कि मेरे पास थानाधिकारी जी का वाटॅसएप कॉल आया हैं उन्होने हम दोनों को वापस थाने पर आने के लिए मना कर दिया, जिस पर मैने उनको कह दिया हैं कि ठीक हैं अभी तो मैं वापस खानपुर जा रहा हूं फिर बता देना। चूंकि सहपरिवादी ने थानाधिकारी को आज खानपुर जाने के लिए कह दिया हैं अतः अग्रिम कार्यवाही आईन्दा स्थिति अनुसार अमल में लाई जावेगी अतः सहपरिवादी के पास रखी रिश्वत राशि 10,000 रूपये को स्वतन्त्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर से निकलवाकर एक कागज के लिफाफे मे रखकर स्वतन्त्र गवाह जितेन्द्र के पास सुरक्षित रखे तथा परिवादी एवं सहपरिवादी को हिदायत कर मौके सें रूखसत किया। इसके पश्चात सहपरिवादी श्री सुनील नागर व परिवादी श्री देवीश्ंकर नागर को गोपनीयता की मुनासिब हिदायद कर मौके से सकुशल रूखसत कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाप्ता व सरकारी व प्राईवेट वाहनो से मय डीवीआर मय रिश्वत राशि का लिफाफे के मय आवश्यक सामग्री एसीबी कार्यालय कोटा के लिए रवाना हुआ। इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को मय स्वतंत्र गवाहान श्री पार्थ विद्यार्थी सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल 132 मय प्राइवेट वाहन के तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री योगेश कानि 291 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड के सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री तंवर सिंह कानि 506 के भ्रनिब्यूरो चौकी कोटा पहुंचे तथा स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र गुर्जर से रिश्वती राशि 10,000 रूपये के लिफाफे को मालखाने मे सुरक्षित रखवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो व डीवीआर को भी मालखाने मे सुरक्षित रखा गया तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री पार्थ विद्यार्थी सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत कर उनके गंतव्य पर रूखसत किया गया। इसके पश्चात दिनांक 26.02.2026 को परिवादी श्री देवीश्ंकर नागर मय अपने भाई श्री सुनिल नागर के कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि- मेने दिनांक 03.02.2026 को धर्मपाल थानेदार जी, प्रेमाराम विश्नोई हैड कानिस्टेबल, कमलेश व अशोक परिहार कानिस्टेबल थाना सारथल जिला बारां द्वारा मुझे पुलिस का भय दिखाकर मुझसें रिश्वत मांगने पर कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा दिनांक 04.02.2026 को रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु मेरे कहेनुसार मेरे भाई सुनिल को थाने पर भेजा गया था, जंहा पर थानाधिकारी से सुनिल ने मुझे थाने पर बुलाने व रिश्वत के संबंध में बात की तो थानाधिकारी धर्मपाल ने सुनिल से 10,000 रू. तथा मुझे साथ में लेकर थाने पर आने के लिए कहा था, इसके बाद दिनांक 05.02.2026 को मैं व मेरा भाई सुनिल 10,000 रू. लेकर थाने पर गये थे, किन्तु उस दिन थानाधिकारी व कमलेश कानि. थाने पर उपस्थित नहीं मिले जिस पर मैने थानाधिकारी को कॉल किया था, जिसमें उन्होने कहा कि आज मैं बाहर आ गया कल इसी समय आ जाना। इसके बाद दिनांक 07.02.20226 को पुनः रिश्वती राशि 10,000 के मैं व मेरा भाई सुनिल थाने पर गये थे जंहा पर थानाधिकारी जी ने मुझे मेरे भाई को पास ही रखी टेबल पर बैठने के लिए इशारा किया तथा करीबन 15-20 मिनट बाद थानाधिकारी धर्मपाल जी हमारे पास आये तथा बातें करने लगे। बहुत देर तक उन्होने मुझे व सुनिल को कहा कि तुमको बार-बार बुलाने पर भी नहीं आये तथा धमकी देते हो इत्यादि इसके बाद मेरे भाई सुनिल ने रिश्वती राशि के लिए अपनी पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशी की तरफ इशारा कर कहा कि ”सर वो आपने कहा जो, इस पर थानाधिकारी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया तथा कहा कि ये कुछ नहीं आप तो ये काम पूरा करो“ इसके बाद मेरे भाई सुनिल ने मेरे बाहर जाने के बाद फिर थानाधिकारी को कहा कि ”पैसे नहीं चाहिये क्या जिस पर थानाधिकारी ने कहा कि तुम आ गये हो तो इसको तो ऐसे ही छोड देंगे“। इसके बाद मेरा भाई भी थाने से बाहर आ गया था, जिसके पीछे से थाने का स्टाफ मोटरसाईकिल से हमारे पीछे आया था जो कुछ देर बाद वापस चले गये थे, इसके कुछ समय बाद थानाधिकारी का

मेरे भाई सुनिल के पास फोन आया था, कि अभी मैं बाहर जा रहा तुम अभी वापस थाने पर मत आना, तुम्हे जब भी बुलाना होगा मैं तुमको फोन कर दूंगा। इसके बाद से थानाधिकारी जी ने न तो मेरे भाई को कॉल किया तथा नहीं मुझे लेने के लिए किसी को भेजा। अतः थानाधिकारी सारथल धर्मपाल जी मुझे डरा धमकाकर रिश्वत प्राप्त करना चाहते थे किन्तु रिश्वत के मांग सत्यापन के पश्चात किसी तरह की कोई शंका या हमारे द्वारा करवाई जाने वाली कार्यवाही का पता चल गया हैं, इसलिए उन्होने दिनांक 07.02.2026 को हमसे कोई रिश्वत नहीं ली तथा रिश्वत राशि के संबंध में जिक्र करने पर चुप रहने का इशारा किया। थानाधिकारी हमसें अब कोई रिश्वत प्राप्त नहीं करेगा, अब ट्रेप कार्यवाही संभव नही हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रिश्वत में दी जाने के लिए मेरे द्वारा दिनांक 05.02.2026 को पेश की गई 10,000 रूपये की राशि मुझे वापस लौटाते हुये मेरे प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र में अंकित हैं कि आरोपीगणों को शंका हो जाने के कारण आरोपीगण अब परिवादी सें रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगें अतः परिवादी को नियमानुसार रिश्वत मे देने के लिए पेश राशि 10,000 रू. लौटाये जानी हैं तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी हैं, अतः प्रकरण में पूर्व में बुलाये गये गवाहान को जरिये मोबाईल कार्यालय में उपस्थित आने हेतु अवगत कराया गया। इसके पश्चात श्री पार्थ विद्यार्थी पुत्र सम्पूर्णानन्द जाति ब्राहमण उम्र 36 साल निवासी मकान नम्बर 3-जे-40 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा हाल सूचना सहायक कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा व श्री जितेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री मोहनलाल गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी ग्राम कालेडा तहसील सिकराय जिला दौसा हाल कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा, कार्यालय हाजा उपस्थित आये, उपरोक्त गवाहान को परिवादी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि लौटाये जाने बाबत दिया गया प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। इसके पश्चात मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सउनि से मालखाने में रखे डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता प्रथम व रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता द्वितीय में प्रयोग में लिये गए पृथक-पृथक दोनों मैमोरी कार्ड को निकलवाया गया, परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के संबंध में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो सहपरिवादी सुनील नागर व आरोपी धर्मपाल यादव, व कमलेश कानिस्टैबल थाना सारथल जिला बांरा के मध्य 04.02.2026 को हुई थी। उसके मैमोरी कार्ड सहित डिजिटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से श्री योगेश गोचर कानि. 291 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ताओं को परिवादी व सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं मे से सहपरिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी धर्मपाल यादव थानाधिकारी थाना सारथल व तीसरी आवाज कमलेश कानिस्टेबल थाना सारथल जिला बारां की होना पहचान कर बताया। उक्त रिश्वत मांग के संबंध में मिलने के संबंध में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन् उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में दिनांक 05.02.2026 को रिकार्ड रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता, प्रथम जिसें सहपरिवादी सुनिल द्वारा थानाधिकारी थाने पर उपस्थित नहीं मिलने पर मोबाईल पर कॉल किया गया तथा मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड उक्त वार्ता के मेमोरी कार्ड लगे हुये डिजिटल वॉईस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप में श्री योगेश गोचर कानि. 291 के द्वारा कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व सहपरिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाया, उक्त रिकॉर्ड वार्ता मे से सहपरिवादी ने एक आवाज आरोपी धर्मपाल थानाधिकारी एवं एक आवाज अपनी पहचान कर बताई। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तत्पश्चात उक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता द्वितीय जो दिनांक 07.02.2026 को परिवादी, सहपरिवादी एवं आरोपी धर्मपाल थानाधिकारी के मध्य हुई है, जिसमें एक आवाज परिवादी, दूसरी आवाज सहपरिवादी सुनिल तथा तीसरी आवाज आरोपी धर्मपाल यादव थानेदार की होना पहचान कर परिवादी एवं सहपरिवादी ने बताया हैं। उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट मन उप अधीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश गोचर कानि. 291 द्वारा नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात परिवादी व सहपरिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 04.02.2026 को सहपरिवादी सुनिल नागर व आरोपीगण श्री धर्मपाल यादव थानाधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन के लिए मिलने के संबंध में मोबाईल वार्ता की फाईल 260204_1131 व सहपरिवादी सुनिल नागर व आरोपीगण श्री धर्मपाल यादव थानाधिकारी एवं कमलेश कानिस्टेबल थाना सारथल जिला बारां के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईल 260204_1135 जो प्रथम मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई तथा दिनांक 05.11.2025 सहपरिवादी सुनिल नागर व आरोपीगण श्री धर्मपाल यादव थानाधिकारी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता प्रथम की फाईल 260205_1050 तथा दिनांक 07.02.2026 को परिवादी देवीशंकर व सहपरिवादी सुनिल नागर एवं आरोपीगण श्री धर्मपाल यादव थानाधिकारी के मध्य हुई हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता द्वितीय की फाईल 260207_0946 जो द्वितीय मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई। उक्त वार्ताओं की 4 फाईलों की हैश वेल्यू हैश चैकर एप से मन् उप

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री योगेश कानि0 291 द्वारा निकाली गई तथा श्री योगेश कानि0 291 के द्वारा उपरोक्त दोनों मैमोरी कार्ड से चारो रिकार्डिंग की फाईलों को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के पांच पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व दो पेनड्राईव आरोपीगणों के लिये कवंर में रखकर पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा दोनों मूल मेमोरी कार्ड को उनके कवर में रखकर, पृथक-पृथक कपडे की थैलियों में रखा जाकर सील्ड मोहर किया गया। थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कवर मे अनसील्ड रखकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डबिंग व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा पैकेट केा मालखाना प्रभारी आशिक हुसैन सउनि से मालखाना में जमा करवाया गया। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लौटाये जाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में देवीश्ंकर नागर द्वारा आरोपीगण धर्मपाल यादव थानाधिकारी व कमलेश कानिस्टेबल थाना सारथल जिला बारां को रिश्वत में दिये जाने हेतु दी गई राशि पांच-पांच सौ रूपये के बीस नोट कुल 10,000 रू. मालखाने सें निकलवाकर उन पर लगे हुए फिनोफथलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करके नियमानुसार परिवादी देवीशंकर नागर पुत्र श्री हरिनारायण, उम्र 34 साल निवासी बडाई तहसील छीपाबडोद पुलिस थाना सारथल जिला बारां को दिनांक 26.02.2026 को सुपुर्द किये गए। फर्द सुपुर्दगी पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। सहपरिवादी सुनील नागर व परिवादी श्री देवीश्ंकर नागर को मय लौटाई गई राशि 10,000 रूपये के तथा स्वतंत्र गवाहान श्री पार्थ विद्यार्थी सूचना सहायक व श्री जितेन्द्र गुर्जर, कनिष्ठ सहायक, को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कोटा से सकुशल रूखसत किया गया । अब तक हुई कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी देवीश्ंकर ने दिनांक 03.02.2026 को एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि- "दिनांक 29.11.2025 को ओमप्रकाश नागर, देवीलाल एवं श्याम मुरारी नागर ने मेरे व मेरे दादाजी के लडके दुर्गाशंकर नागर व मेरे ड्राईवर हेमराज सेन के साथ गाली गलोच व लडाई झगडा किया, जिसमे दुर्गाशंकर नागर के चोट आने पर मैने 112 पर कॉल किया तो करीब आधा घन्टा बाद पुलिस आई और दोनो पार्टीयो से बातचित कर मुझे व मेरे ड्राईवर एवं ओमप्रकाश नागर को 112 में बैठाकर पुलिस थाना सारथल ले गई और हम तीनों को पट्टे मारे और हवालात मे बन्द कर दिया। रात्री को हम तीनों हवालात मे बन्द रहे। दूसरे दिन दिनांक 30.11.2025 को हमे तहसील कार्यालय छीपाबडोद मे एस.डी.एम साहब के समक्ष पेश किया तो हमे जमानत लेकर छोड दिया था। दिनांक 02.02.2026 को धर्मपाल थानेदार जी के मोबाईल नम्बर   से मेरे मोबाईल नम्बर   पर कॉल आया। उस वक्त मै खेत पर फसल को दवाई दे रहा था। मेरा मोबाईल घर पर था। मोबाईल को मेरी पत्नि सीमा नागर ने रिसिव किया तो थानेदार जी ने उसे बताया कि देवीशंकर को थाने पर रूपये लेकर भेज दो नही तो मे घर आकर देवीशंकर को घसीटता हुआ थाने ले जाऊंगा। ये बात मेरी पत्नी ने मेरे घर आने पर मुझे बताई थी। थानेदार धर्मपाल जी, प्रेमाराम विश्नोई हैड कानिस्टेबल, अशोक परिहार व कमलेश कानिस्टेबल चारों रूपये के लिए मेरे बार-बार फोन कर रहे है व उठाने की धमकी दे रहे है। मै धर्मपाल थानेदार जी, प्रेमाराम विश्नोई हैड कानिस्टेबल, कमलेश व अशोक परिहार कानिस्टेबल को रिश्वत के रूपये नही देना चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ, प्रार्थना पत्र के क्रम में दिनांक 04.02.2026 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो सहपरिवादी श्री सुनिल नागर एवं श्री धर्मपाल थानाधिकारी थाना सारथल एवं श्री कमलेश कानि. थाना सारथल से परिवादी देवीशंकर को थाने पर लेकर आने तथा उसके साथ रिश्वती राशि 15000 रू. लेकर आने के संबंध में वार्ता की गई है, सर्वप्रथम सहपरिवादी थाने पर गया तो धर्मपाल थानेदार थाने पर नहीं थे, जिन्हे सहपरिवादी ने कॉल किया तो 5 मिनट में आना बताया, इस पर कमलेश कानिस्टेबल सहपरिवादी को मिला तथा उसी समय धर्मपाल थानेदार जी थाने पर आ गये। जिनसे सहपरिवादी ने देवीशकंर के संबंध में बातचीत की तो उन्होने कहा कि तू देवीशंकर और अनिल को लेकर आ, इस पर सहपरिवादी ने कहा कि देवीश्ंकर को तो मै ले आऊंगा पर अनिल के बारे में मुझे पता नहीं है तथा फिर रिश्वत के संबंध में कमलेश के पूछने पर कि तुमको मैने कल बताया वो काम नहीं किया, इस पर सहपरिवादी ने कहा कितने क्या अनिल भी, इस पर थानेदार जी ने कहा कि उनको ले आ फिर कर लेंगे तू टेन्शन मत ले, इस पर सहपरिवादी ने कहा कि सर एक बार बता दो ना जो, तो थानेदार जी ने कहा कि बता दिया कमलेश बता, इस पर कमलेश कानिस्टेबल ने (कल दिनांक 03.02.2026 को देवीशंकर और अनिल को थाने पर लेकर आते समय 15,000 रू. लेकर आने के लिए सहपरिवादी से हुई वार्ता के क्रम में) कहा कि बता दिया तेरे को कल बता दिया बार-बार तू बार-बार बताउं क्या तेरे को कल बता ही दिया था वो काम तो कर ही दिया तेने कल वाला तो, इस पर सहपरिवादी ने कहा कि सर अभी लेके आया हूं, इस पर कमलेश कानिस्टेबल ने कहा कि कल वाला कर दिया क्या, इस पर सहपरिवादी ने कहा कि नही वो नहीं करा अभी पडे है जो तो दे जांऊ फिर ओर होयेगें उनके साथ में ले आऊंगा, अभी दो हजार पडे है जो ये तो, इस पर कमलेश ने कहा कि तू तो कुछ नहीं चहिये उनको ले आना। इसके बाद थानाधिकारी धर्मपाल कमलेश के पास से कमरे की तरफ जाने लगे तो सहपरिवादी उनके पास गया तथा उनसें कहा कि- यूं बोल रहा हॅू सर कमलेश सर पन्द्रह हजार की बोल रहे थे पन्द्रह नहीं होयेगें सर दस ही होयेंगें मेरे, इस पर थानाधिकारी ने कहा कि ले आ तू जा जा फटाफट । इस प्रकार थानेदार धर्मपाल जी व कमलेश कानिस्टेबल देवीशंकर के साथ मारपीट नहीं करने व केस में राहत देने के रूप में रिश्वत

राशि 15000 की मांग की गई थी, जिसके क्रम में दौराने सत्यापन थानाधिकारी धर्मपाल 10,000 रू. में सहमत हुआ। दिनांक 04.02.2026 को आरोपीगणों द्वारा की गई रिश्वत मांग के क्रम में सहपरिवादी श्री सुनिल नागर मय परिवादी देवीशंकर के रिश्वत राशि 10,000 आरोपीगणो को देने गया तो आरोपीगण थाने पर मौजूद नहीं मिले। सहपरिवादी द्वारा जर्ये मोबाईल आरोपी धर्मपाल यादव से वार्ता की तो आरोपी ने बताया कि आज मै व कमलेश आवश्यक कार्य से बारां आ गए है। तुम कल इसी टाईम पर आ जाना। इस प्रकार आरोपीगण थाने पर उपस्थित नहीं होंने के कारण रिश्वत राशि लेन देन नहीं हो सकी। तत्पश्चात दिनांक 07.02.2026 को पुनः रिश्वत राशि लेन देन हेतु सहपरिवादी मय परिवादी देवीशंकर, रिश्वती राशि 10,000 आरोपीगणों को देने गये तो आरोपी धर्मपाल यादव थानाधिकारी थाने पर मौजूद मिला जिनसे सहपरिवादी एवं परिवादी की आपसी वार्ता हुई, जिसमें सर्वप्रथम तो थानाधिकारी ने दोनों को समझाईश की तथा सहपरिवादी ने अपनी पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशि देने के लिए इशारा कर, रूपये देने के लिए पूछा तो परिवादी एवं सहपरिवादी के कहेनुसार थानाधिकारी ने अपने मुंह पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा किया, तथा दूसरी बातें करने लगा, वार्ता के अंश निम्न प्रकार है-

सुनिल नहीं जिसके बाद कोई दिक्कत फिर
थानाधिकारी कोई दिक्कत नहीं अपन फ्री हो जाए फिर एक दिन कोर्ट में जाना पड़ेगा।
सुनिल अच्छा
थानाधिकारी कोर्ट में चलेगा केस फिर क्या रहेगा मॉ चुदाओ (गाली)
देवीशंकर तीन चार तो दे दे मै मै ले आऊं
सुनिल वो आपने बोला जो
थानाधिकारी ये कुछ नहीं आप तो ये काम पूरा
देवीशंकर लो मैं ले आंऊ
सुनिल फिर वो नहीं लाऊं निकाल कर

तथा अन्त मे हुई वार्ता का अंश-

थानाधिकारी वो क्या है कि छोटे वाले ही, बैठ जाओ आप भी इधर बैठ जाओ, ये आ जाता है अभी दस मिनट में
सुनिल नहीं वो मेरे फोन में ही थे
थानाधिकारी क्या
सुनिल पैसे, नहीं चाहिए
थानाधिकारी नहीं
सुनिल ठीक है
थानाधिकारी तुम आ गये हो तो इसको तो ऐसे ही छुडवा

तत्पश्चात उक्त दिनांक 07.02.2026 को थानाधिकारी से वार्ता होने के पश्चात परिवादी सहपरिवादी थाने से बाहर आया तो थाने का स्टाफ मोटरसाईकिल से उनके पीछे आया था जो कुछ देर बाद वापस चले गये थे, इसके कुछ समय बाद थानाधिकारी का सुनिल के पास फोन आया था, कि अभी मैं बाहर जा रहा तुम अभी वापस थाने पर मत आना, तुम्हे जब भी बुलाना होगा मैं तुमको फोन कर दूंगा। इसके बाद से थानाधिकारी धर्मपाल व कमलेश की तरफ सें कोई गतिविधी नहीं की गई।

तत्पश्चात दिनांक 26.02.2026 को परिवादी मय सहपरिवादी सुनिल नागर के एसीबी चौकी कोटा आये तथा प्रकरण के हालात बताते हुये अवगत कराया कि थानाधिकारी हमसें अब कोई रिश्वत प्राप्त नहीं करेगा, अब ट्रेप कार्यवाही संभव नही हैं, अतः परिवादी को नियमानुसार राशी 10,000 रू. वापस लौटाई गई। अब तक के हालात फर्दात एवं कार्यवाही सें पाया गया हैं कि दिनांक 03.02.2026 को धर्मपाल थानेदार जी, प्रेमाराम विश्नोई हैड कानिस्टेबल, कमलेश व अशोक परिहार कानिस्टेबल थाना सारथल जिला बारां द्वारा पुलिस का भय दिखाकर रिश्वत मांगने के क्रम में परिवादी देवीशंकर द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया था, उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04.02.2026 को रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु परिवादी के कहेनुसार उसके भाई सुनिल को थाने पर भेजा गया था, जंहा पर थानाधिकारी से सुनिल ने परिवादी देवीशंकर को थाने पर बुलाने व रिश्वत के संबंध में बात की तो थानाधिकारी धर्मपाल ने सुनिल से 10,000 रू. तथा परिवादी को साथ में लेकर थाने पर आने के लिए कहा था, इसके बाद दिनांक 05.02.2026 को परिवादी एवं सहपरिवादी सुनिल 10,000 रू. लेकर थाने पर गये थे, किन्तु उस दिन थानाधिकारी व कमलेश कानि. थाने पर उपस्थित नहीं मिले जिस पर सहपरिवादी ने थानाधिकारी को कॉल किया था, जिसमें उन्होने कहा कि आज मैं बाहर आ गया कल इसी समय आ जाना। इसके बाद दिनांक 07.02.20226 को पुनः रिश्वती राशि 10,000 के परिवादी एवं उसका भाई सुनिल थाने पर गये थे जंहा पर थानाधिकारी जी ने परिवादी व उसके भाई को पास ही रखी टेबल पर बैठने के लिए इशारा किया तथा करीबन 15-20 मिनट बाद थानाधिकारी धर्मपाल जी दोनों के पास आये तथा बातें करने लगे। बहुत देर तक उन्होने परिवादी व उसके भाई सुनिल को कहा कि तुमको बार-बार बुलाने पर भी नहीं आये तथा धमकी देते हो इत्यादि इसके बाद परिवादी के भाई सुनिल ने रिश्वती

राशि के लिए अपनी पेंट की जेब में रखी रिश्वती राशी की तरफ इशारा कर कहा कि ”सर वो आपने कहा जो, इस पर थानाधिकारी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया तथा कहा कि ये कुछ नहीं आप तो ये काम पूरा करो“ इसके बाद परिवादी के भाई सुनिल ने परिवादी के बाहर जाने के बाद फिर थानाधिकारी को कहा कि ”पैसे नहीं चहिये क्या जिस पर थानाधिकारी ने कहा कि तुम आ गये हो तो इसको तो ऐसे ही छोड देंगे“। इसके बाद परिवादी का भाई भी थाने से बाहर आ गया था, जिसके पीछे से थाने का स्टाफ मोटरसाईकिल से उनके पीछे आया था जो कुछ देर बाद वापस चले गये थे, इसके कुछ समय बाद थानाधिकारी का सुनिल के पास फोन आया था, कि अभी मैं बाहर जा रहा तुम अभी वापस थाने पर मत आना, तुम्हे जब भी बुलाना होगा मैं तुमको फोन कर दूंगा। इसके बाद से थानाधिकारी जी ने न तो सुनिल को कॉल किया तथा नहीं परिवादी को लेने के लिए किसी को भेजा, इससे स्पष्ट है कि थानाधिकारी सारथल धर्मपाल जी व कमलेश कानिस्टेबल देवीशंकर के साथ मारपीट नहीं करने व केस में राहत देने के रूप में रिश्वत राशि 15000 की मांग की गई थी, जिसके क्रम में दौराने सत्यापन कमलेश कानि. ने पूर्व में सुनिल देवीशंकर व अनिल को थाने पर लेकर आते समय 15000 रू. लेकर आने की हुई वार्ता के क्रम में बार-बार कहा गया कि मैने तुमको काम बताया जो नहीं किया तुमने तथा अन्त में सहपरिवादी ने थानाधिकारी से पृथक सें जाकर कहा कि यूं बोल रहा हॅू सर कमलेश सर पन्द्रह हजार की बोल रहे थे पन्द्रह नहीं होयेगें सर दस ही होयेंगें मेरे, इस पर थानाधिकारी ने कहा कि ले आ तू जा जा फटाफट, इस प्रकार थानाधिकारी धर्मपाल 15000 रू. की जगह 10,000 रू. रिश्वत लेकर आने के लिएं सहमत हुआ हैं तथा बाद मे शंका हो जाने के कारण परिवादी व सहपरिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई। आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता की परिधी में आता है।अतः आरोपीगण धर्मपाल पुत्र श्री बनवारी लाल ग्राम रामपुरा थाना किशनगढ जिला अलवर हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी थाना सारथल जिला बारां व कमलेश कुमार पुत्र श्री गणपतराम ग्राम आसपुरा श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल कानिस्टेबल 657, थाना सारथल, जिला बारां के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध घटित होना पाया जाने से आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन श्रीमान की सेवामें पेश है।(अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1. श्री धर्मपाल पुत्र श्री बनवारी लाल ग्राम रामपुरा थाना किशनगढ जिला अलवर हाल उप निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी थाना सारथल जिला बारां व 2. श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री गणपतराम ग्राम आसपुरा श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल कानिस्टेबल 657, थाना सारथल, जिला बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कालूराम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बारां को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 350 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1211-15 दिनांक 20.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बांरा 2- महानिरीक्षक पुलिस, रेंज कोटा 3- पुलिस अधीक्षक, बांरा 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 5- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALU RAM VERMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/07/2026 18:00:24

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				
2	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)